न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 17/19 तारीखरजू:– 11-4-19

उनवान:– धनसिंह बनाम वीरसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
11-4-19	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1434/0.53, 1438/0.17, 1439/0.16, 1440/0.13, 1441/0.14 कुल किता 5 रकवा 1.47 है0 ग्राम आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे मे सायलान के हिस्से की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नही करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25/04/2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

1362-68
11-4-19

25/4/19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से करौली पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 13/6/19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

मु.नं. 17/19 उनवान - धनसिंह V/s वीरसिंह (T.9.)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

4.3.20 नकुलाय उप०/ बहस हेतु समय चाहा/समय दिया गया/ वास्ते बहस दिनांक 12.3.20 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

12.3.20 वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई/बहस पर मनन किया/ पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। दिनांक 11-4-19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम आरवावाड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1434/0.53, 1438/0.17, 1439/0.16, 1440/0.13 1441/0.14 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 हे० में से सायलान के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: